

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय घाजा को राजस्वान
 काश्तकारी 1955 अधिनियम 1955 को सुनने का
 क्षेत्राधिकार हो चूंक मपील एक्ट - 75 लेण्ड रेवेन्यू
 एक्ट के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय घाजा
 को इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय
 उपर्युक्त अधिकारी गिवि को पुनः लौटाया जा
 रहा है। प्रकरण भागामी पेशी दिनांक 27/5/24
 को पेश हो।


